न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 53/25 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग बनाम श्री कालू व अन्य निर्णय दिनांक 23.07.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 53/25 (प्रा.पत्र)

GCMS No. : 2025/162

अनवान

1. श्री दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर द्वारा संजय साहु पिता चांदमल साहु निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

....................प्रार्थी

बनाम

1. श्री कालू पुत्र सवा रावत निवी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री गंगाराम पुत्र सवा रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. मृतक के बजाय–

2/1 श्री प्रेम पिता गंगाराम मीणा निवासी कलकीपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/2 श्री नाथू पिता गंगाराम मीणा निवासी कलकीपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2/3 श्री राजमल मीणा गंगाराम मीणा निवासी कलकीपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. ।

3. श्री गोकल पुत्र सवा रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री बाबरू पुत्र सवा रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. मृतक के बजाय–

4/1 श्री केशु पिता बाबरू रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

4/2 श्री बंशी पिता बाबरू रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

4/3 श्रीमती पुष्पा पुत्री बाबरू रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल मुकाम वेरीपुरा (भोपाखेडा) तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

4/4 श्रीमती मोवनी पुत्री बाबरू रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. हाल मुकाम डांगीखेडा आकोला रोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4/5 श्रीमती गंगादेवी पत्नी बाबरू रावत निवसी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:56 IST
Reason: SelfAttested

5. श्री राजमल मीणा पुत्र गंगाराम मीणा निवासी कलक[illegible] जिला उदयपुर राज.।
6. श्री वरदा पुत्र सवा रावत निवासी कलकीपुरा भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
7. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसील[illegible] जिला उदयपुर राज.।

....................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 151 जा.दी.

रिव्यु प्रकरण संख्या 98/24

— : : निर्णय : : — दिनांक : 23.07.2025

1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में मौजा वरनोदा पटवार हल्का मोतीदा तहसील कनोड जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 2063/143 किता 12 रकबा 2.5677 है. भूमि जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि होने एवं राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकर्ड है तथा इसी तरह विपक्षीगणों की आराजी न. 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 74, 75, 76, 77 किता 31 रकबा 3.8000 है. भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगणों के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजीयात में आने जाने हल, बेलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, मवेशी आदि जाने ले जाने हेतु विपक्षीगणों की आराजीयात में से आराजी न. 105, 131 किता 2 रकबा 0.3900 है. भूमि में करीब 30 फीट चौडे रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल कराये जाने बाबत्। माननीय न्यायालय में रास्ता 251(ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

2. यह कि दौराने प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 व 3 से 6 की ओर से माननीय न्यायालय आप में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो वाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया का स्वीकार किया जाक़र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा हस्तगत रिव्यु प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित है जबकि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर वादी का वाद केवल मात्र निम्न आधारों पर खारिज किये जाने योग्य है।

(क) जहां वह वाद– हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालयने नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतित होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:01:56 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि विपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के किन प्रावधानों के तहत आता है साथ ही आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान प्रार्थना पत्र पर लागु होते है या नहीं इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किये है तथा विधिनुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान मात्र वाद

पत्र पर ही लागु होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यु किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थी की खातेदार आराजी नं. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 2063/143 किता 12 रकबा 2.5677 है. संपूर्ण भूमि पर कोई क्रेशर संचालित नहीं है अपितु उक्त भूमि में से कुछ भूमि औधोगिक संपरिवर्तन कि लिये पत्रावली दर्ज करा रखी है उक्त भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तदर्थ प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया ओर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है जो विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना पत्र रिव्यू किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षीगण की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की कलम न. एक का उतर है कि उक्त आराजीयात मौजा वरनोदा में स्थित होना स्वीकार है एवं धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का कथन स्वीकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में आने जाने का रास्ता हम विपक्षीगण की अराजीयात में से नहीं है न पहले कभी था। विपक्षी सं. 1 व 3 से 6 की ओर से माननीय न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश करना एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन सही है उक्त आदेश से प्रार्थी व्यथित नहीं है ओर उसे यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

6. यह कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी के प्रावधान इस मामले में लागू होते है और न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है जहां वाद संस्थित नहीं हो सकता है ओर प्रार्थना पत्र के अधीन ही अनुतोष दिया जा सकता है वहां आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागू होते है। माननीय न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र हम विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया है वह विधि अनुसार पेश किया गया है ओर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो भी विधि अनुसार स्वीकार किया है जहां न्यायालय का विधिवत आदेश पारित हो गया हो वहां सिर्फ अपील की जा सकती है और रिव्यू के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यु की परिभाषा में नही आता है और न ही प्रार्थी को ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार है। प्रार्थी जहां रास्ता मांग रहा है वहां पहले कभी कोई रास्ता नहीं था ओर न अभी है। माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:56 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 98/24 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम श्री कालू व अन्य में आदेश दिनांक 22.04.2025 द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया गया जबकि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान प्रार्थना पत्र पर लागु नहीं होते हैं जिससे प्रार्थना पत्र रिव्यू किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का विधि अनुसार स्वीकार किया गया हैं जहां न्यायालय का विधिवत आदेश पारित हो गया हो वहां सिर्फ अपील की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2018(1) RRT 147 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER KISHANLAL & ANR. VS. HURJI & ORS. का पेश किया गया।

8. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 98/24 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम श्री कालू व अन्य में आदेश दिनांक 22.04.2025 द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिंता का स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया गया। इस संबंध में जब हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिंता में वर्णित प्रावधानों को देखते है तो पाते है कि वाद पत्र किन दशाओं में नामंजूर किया जायेगा। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों में प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने बाबत् प्रावधान नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 98/24 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम श्री कालू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 प्रथम दृष्टया ही प्राईमाफेसी त्रुटि पूर्ण है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय को अपने निर्णय को पुनरावलोकन (रिव्यु) करने की शक्ति प्रदान करती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 98/24 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम श्री कालू व अन्य में आदेश दिनांक 22.04.2025 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान दिनांक 28.07.2025 को प्रकरण संख्या 98/24 अनवान श्री दुर्गेश क्रंशिग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल साहू बनाम श्री कालू व अन्य में सुनवाई हेतु उपस्थित [illegible] मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:56 IST
Reason: SelfAttested